

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक-31/5/12

विषय:- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 14.07 लाख रू० (चौदह लाख सात हजार रू०) मात्र की अनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान का वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन की स्वीकृति।

स्वीकृत्यादेश सं०-11 दिनांक-31/5/12 के अलोक में दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 14.07 लाख रू० (चौदह लाख सात हजार रू०) मात्र के अनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू०) की निकासी सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जाना था परंतु उपबंध के अभाव में इस राशि की निकासी नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंध प्राप्त है। अतः अनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 9.38 लाख की आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

- स्वीकृत राशि रू० 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू०) मात्र की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-428 दिनांक-31.03.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधितों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS/चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. स्वीकृत राशि रू0 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू0) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना मांग संख्या-48 मुख्यशीर्ष-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- 0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-48-3475007960302, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान -0302.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपबंधित राशि 90.00 लाख रू0 (नब्बे लाख रू0) मात्र में से की जायेगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। संबंधित से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंशेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*(31.5.17)*

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15-

*12*

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-*31.5.17*

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*(31.5.17)*

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15-

*12*

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-*31.5.17*

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY-NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*(31.5.17)*

सरकार के विशेष सचिव।

*(12)*

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 21/5/17

विषय:-

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 14.07 लाख रू० (चौदह लाख सात हजार रू०) मात्र की अनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान का वित्तीय वर्ष 2017-18 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 14.07 लाख रू० (चौदह लाख सात हजार रू०) मात्र के अनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू०) की निकासी सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जाना था परंतु उपबंध के अभाव में इस राशि की निकासी नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंध प्राप्त है। अतः अनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 9.38 लाख की निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

- स्वीकृत राशि रू० 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू०) मात्र की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-428 दिनांक-31.03.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधितों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS/चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. स्वीकृत राशि रू0 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू0) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना मांग संख्या-48 मुख्यशीर्ष-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-0302-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-48-3475007960302, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान -0302.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपबंधित राशि 90.00 लाख रू0 (नब्बे लाख रू0) मात्र में से की जायेगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। संबंधित से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0-60/टि0 पर दिनांक-30/05/2017 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0-60/टि0 पर दिनांक-25/05/2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 17

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित। / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-21/05/17

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15-

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY-NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।